

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भागII-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 220]** No. 220] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल9, 2015/चैत्र19, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA19, 1937

# कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 275(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए :--

- (1) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक उनका संबंध उपकरण इंजीनियर और परीक्षण इंजीनियर के पदों से है:
- (2) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) सहायक इंजीनियर (उपकरण), समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2003 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक इंजीनियर (उपकरण) के पद से है;
- (3) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (कृषि एवं सहकारिता विभाग) समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 को, जहाँ तक उनका संबंध निदेशक, ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और कृषि इंजीनियर के पद से हैं;
- उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात
  - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 होगा।
  - (2)ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
  - 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 4. भर्ती की पद्धति, आय्—सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आय्—सीमा, अर्हताएं और उनसे

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

1627 GI/2015 (1)

- 5. निरर्हता.-वह व्यक्ति.-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				-	व्यक्तियों के लिए
					आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक*	06*(2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन बैंड-3,	चयन।	लागू नहीं होता।
		'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	15600-39100 रूपये + ग्रेड		
*कृषि एवं सहकारिता	*कार्यभार के आधार पर		वेतन 7600 रूपये।		
विभाग (मुख्यालय) में	परिवर्तन किया जा जा				
नियुक्त होने पर	सकता है।				
अवलंबी को उप					
आयुक्त (एम. एण्ड					
टी.) के पद पर					
नामित किया जाएगा।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित के द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर।
			(ii) 50 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर।

# प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11

## प्रोन्नति :

वेतन बैंड–3, 15600–39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में ऐसे ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और मारतीय कृषि अनुसंघान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के संचालन या मरम्मत या रख-रखाव या बनावट विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए योग्यता सूची अधिकारियों द्वारा उसी ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित,

जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3. प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3, 15,600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 6600 रूपये

या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हो:

#### अनिवार्य:

- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;
- (ii)केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों से ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के संचालन या मरम्मत या रख—रखाव या बनावट विकास या परीक्षण के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाम केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)  समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:—  1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष;  2. अपर सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य;  3. संयुक्त सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य।	(13) अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ट कृषि	12*(2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड–3,	चयन।	40 वर्ष से अधिक न हो।
इंजीनियर*	, ,	सेवा,	15600—39100 रूपये		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या
,	*कार्यभार के	समूह 'क'	+ ग्रेड वेतन 6600		आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
*कृषि एवं	आधार पर	राजपत्रित,	रूपये ।		शिथिल की जा सकती है).
सहकारिता	परिवर्तन	अननुसचिवीय।			-
विभाग	किया जा				टिप्पणः आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
(मुख्यालय) में	सकता है।				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
नियुक्त होने पर					लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह
अवलंबी को					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश,
सहायक आयुक्त					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
(एम. एवं टी.)					जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के
के पद पर					लाहोंल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी
नामित किया					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के
जाएगा ।					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है).

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग या	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ ।	सीधी भर्ती किये गये	(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;
यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और		एवं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये एक	

रख–रखाव का पांच वर्ष का अनुभव; या	वर्ष ।	द्वारा ।
सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में स्वतंत्र रूप से फार्म मशीनरी और कृषि यंत्रों का परीक्षण तथा संचालन कार्य का पांच वर्ष का		
अनुभव।		
वांछनीयः		
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।		
टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं		
जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

#### प्रोन्नति :

वेतन बैंड—3, 15600—39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में ऐसे परीक्षण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और वेतन बैंड—2, 9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600 रूपये में ऐसे कृषि इंजीनियर जिन्होंने सात वर्ष की उस ग्रेड में नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और सम्बद्ध उपकरणों के संचालन, रख—रखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण और परीक्षण का चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: प्रोन्नित के लिए योग्यता सूची अधिकारियों द्वारा उसी ग्रेड या पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3. प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) जो मुल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हए हैं; या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3, 15,600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; या
  - (iii) जिन्होंने मूल काडर या विमाग में वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सात वर्ष सेवा की है; और
- (ख) सीघे भर्ती व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाम केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना.		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
(12)		(13)
विमागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंग	गे:	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	– अध्यक्ष;	आयोग से परामर्श
2. अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	करना आवश्यक है।
3. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
4. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य।	
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	त होंगे:	

[भागII—खण्ड3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

1. अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	
2. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
3. निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर।	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'क' राजपत्रित,	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रुपये + ग्रेड वेतन 6600 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में ऐसे उपकरण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थाओं या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3, 15,600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में

या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और

- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव होः अनिवार्यः
- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में डिग्री;
- (ii) स्वचालित मापन और नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रीकल उपकरणों को स्वतंत्र रूप से स्थापित तथा जांच करने की क्षमता और रख-रखाव का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : स्ट्रेन गेज, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के संचालन का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विमागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आघार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाम केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:-	प्रतिनियुक्ति ्(अल्पकालिक
1. अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — अध्यक्ष;	संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा
2. संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य;	आयोग से परामर्श करना
<ol> <li>निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग  — सदस्य।</li> </ol>	आवश्यक है।

_						
Γ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. उपकरण इंजीनियर।	2*(2015)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड—3, 15600—39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये।	चयन।	35 वर्ष से अधिक न हो. (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है).  टिप्पणः आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समृह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है).

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः (क)(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्सइंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में डिग्री। (ii)केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और साविधिक संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख—रखाव का तीन वर्ष का अनुभव, या	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां।	सीघे भर्ती	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित के द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर तथा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।  (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(ख)(i)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।			
(ii)केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख—रखाव का एक वर्ष का अनुभव।			
वांछनीयः			
आई.सी. ईंजन के परीक्षण और निकास उत्सर्जन मापन प्रणाली उपकरण संचालन का एक वर्ष का अनुभव।			
टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			
टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्मावना नहीं है।			

## पोन्नति

वेतन बैंड—2, 9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600 रूपये में ऐसे कृषि इंजीनियर (उपकरण) जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तरित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

## प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषद्ों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 में, 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4800 रूपये मेंया समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दो वर्ष सेवा की है; या
- (iii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 में, 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर

नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) सीघे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाम केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखि	ात होंगे:-	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा
(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	– अध्यक्ष;	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(2) अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(4) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न	लिखित होंगे:	
(1) अपर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	
(2) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य ;	
(3) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. परीक्षण इंजीनियर।	(2)  1*(2015)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	्राधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	(न) वेतन बैंड — 3, 15600—39100 रुपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये।	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक न हो. (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है).
	पर पारवतन किया जा सकता है।	जगपुतायपाय			टिप्पणः आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः	लागू	एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री.	नहीं .		
(2) किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या सूचीबद्ध निजी संगठन में	होता।		टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी
कृषि मशीनरी के परीक्षण और आंकलन का तीन वर्ष का अनुभव।			बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
			परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे
वांछनीयः			अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को
यंत्रीकृत खेती कार्य में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।			केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ
			राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या
टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों			कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान
के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार			संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध–सरकारी या
शिथिल की जा सकती हैं।			स्वशासी और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे
			अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर

टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	मरा जा सकेगाः— (क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड—2 9300— 34800 रूपये में + ग्रेड वेतन 4800 रूपये में या सुमतुल्य नियमित आधार पर
	आधार पर सदृश पद धारण किए हुए
	हैं;या
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
पयाप्त संख्या म उपलब्ध हान का सम्भावना नहां है।	रूपये में या समतुल्य नियमित आधार पर
	उस पद पर दो वर्ष सेवा की हो; या
	(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2
	9300—34800 रूपये में + ग्रेड वेतन
	4600 रूपये में या समतुल्य नियमित
	आधार पर उस पद पर तीन वर्ष सेवा
	की हो; और
	(ख) जिनके पास स्तंभ (7)के अधीन सीघे
	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
	के लिए विहित अर्हताएं हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:—  1. अपर सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — अध्यक्ष;  2. संयुक्त सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य;  3. निदेशक या उप सिचव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग — सदस्य।	प्रत्येक नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कृषि इंजीनियर	2*(2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड – 2,	चयन।	30 वर्ष से अधिक न हो.
इजानियर (उपकरण)।	*कार्यभार	सेवा, समूह 'ख'	9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4600		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
	के आधार पर परिवर्तन	राजपत्रित, अननुसचिवीय।	रूपये ।		शिथिल की जा सकती है).
	किया जा सकता है।	3			टिप्पणः आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए
					नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,
					मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले
					तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
					गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः  1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिग्री।  2. किसी सरकारी संगठन या सूचीबद्ध निजी संगठन में स्वचालित मापन और नियंत्रण, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरण आदि इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने में निपुणताऔर रख—रखाव का दो वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : नहीं		(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित के द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)। (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अम्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			
टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अम्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को मरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अम्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

#### प्रोन्नति :

वेतन बैंड–2, 9300–34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण), जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों से स्वचालित मापन और नियंत्रण, स्ट्रेन गेज़ चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरण आदि इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रख—रखाव का चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

## प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषद् या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 में, 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर निय्वित के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) सीघी भर्ती हुएँ व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	-	सीधी भर्ती करने के लिए
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	सहित) पर नियुक्ति के
(3) अपर आयुक्त (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	– सदस्य।	आवश्यक है।
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित ह	होंगे:	
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विमाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	– सदस्य।	

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. कृषि	15*(2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड – 2,	चयन ।	30 वर्ष से अधिक न हो।
इंजीनियर*		सेवा,	9300-34800 रुपये +		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों
	*कार्यभार	समूह 'ख'	ग्रेड वेतन 4600		के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल
	के आधार	राजपत्रित,	रूपये ।		की जा सकती है)।
*कृषि एवं	पर परिवर्तन	अननुसचिवीय।			-
सहकारिता	किया जा				टिप्पणः आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
विभाग	सकता है।				तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए
(मुख्यालय) में					नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम
नियुक्त होने पर					तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,
अवलंबी को					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
सहायक					लद्याख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले
इंजीनियर (एम.					तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार
एण्ड टी.) के पद					द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
पर नामित किया					गई है) ।
जाएगा ।					
1					

	(-)	(-)	()
7) अनिवार्यः	(8)	(9)	(10)
1	आयु : नहीं		(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नित के द्वारा जिसके न हो
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग	शैक्षिक	व्यक्तियों	सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित
यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री।	योग्यता :	के लिए दो	प्रतिनियुक्ति आधार पर।
(ii) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर	नहीं।	वर्ष ।	
उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान			(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों			संविदा सहित) आधार पर जिसके न हो सकने
और सांविधिक संगठनों से कृषि मशीनरी के परीक्षण और			पर सीधी भर्ती द्वारा।
आंकलन का दो वर्ष का अनुभव।			
या			
(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या			
े पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या			
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषद्ों या			
अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों			
से ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या			
रख-रखाव के अनुभव सहित अध्यापन या प्रशिक्षक का दो			
वर्ष का अनुभव होना चाहिए।			
वांछनीयः			
यांत्रिक कृषि प्रणाली पर एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।			
4114 - 211 2 1111 11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3			
टिप्पणी 1 : अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन			
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के			
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			
विषयम् द्वार स्थानस्य का आ सकता है।			
टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अहर्ताएं, संघ लोक सेवा आयोग के			
विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,			
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती			
हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह			
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में			
उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

## प्रोन्नति :

वेतन बैंड—2, 9300—34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और कृषि मशीनरी के परीक्षण या विस्तार, ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रख—रखाव का सफलतापूर्वक 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या परिषदों या अर्द्ध—सरकारी या स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 में, 9300-34800 रूपये + ग्रेड वेतन 4200 रूपये में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) सीधी मर्ती हुए व्यक्तियों के लिए स्तंम (7) में विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक संविदा सिहत) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घारित किसी अन्य बाह्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक संविदा सिहत) शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(40)	(40)
(12)	[ (13)
(12)	(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें 1	नेम्नलिखित होंगे:-	सीधी भर्ती करने के लिए तथा
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	लिए तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विमाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	संविदा सहित) आधार पर नियक्ति
(3) अपर आयुक्त (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	के लिए संघ लोक
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	– सदस्य।	सेवा आयोग से परामर्श करना
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हों	मे:	आवश्यक है।
(1) संयुक्त सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(3) अपर आयुक्त (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग), कृषि एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य;	
(4) निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान	– सदस्य।	

[फा. सं. 13—3 / 2012—एम. एवं टी. (प्रशा.)] बी. बी. भगत, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2015

- **G.S.R. 275(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,—
  - (1) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Instrumentation Engineer and Test Engineer;
  - (2) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Assistant Engineer (Instrumentation), Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Assistant Engineer (Instrumentation);
  - (3) Farm Machinery Training and Testing Institute (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'A' and Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Director, Senior Agricultural Engineer and Agricultural Engineer;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.**—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

  SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director *	6* (2015)	General Central Service, Group 'A' Gazetted , Non-	Pay band -3, Rs.15600-39100 plus grade pay of	Selection.
* On posting at DAC [Hq], the incumbent will be designated as Deputy Commissioner (M&T).	*Subject to variation dependent on workload	Ministerial.	Rs. 7600.	

Age limit for direct	Educational and other	Whether age and educational	Period of probation, if	Method of recruitment
recruits	qualifications required	qualifications prescribed for	any	whether by direct recruitment
	for direct recruits	direct recruits will apply in the		or by deputation /absorption
		case of promotees		and percentage of the
				vacancies to be filled by
				various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by promotion failing
				which by deputation
				including short -term
				contract.
				(ii) 50% by deputation
				including short-term
				contract.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation /absorption to be made
(11)

## Promotion

Senior Agricultural Engineer and Senior Instrumentation Engineer in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 with five years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks' training in the field of operation or repair and maintenance or design development, production, training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors in the Indian Council of Agricultural Research or in the State Agricultural Universities or in any Krishi Vigyan Kendra.

- Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post.
- **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

## Deputation (Including short- term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
  - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-

## Essential:

- (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or mechanical engineering from a recognised University or institute; and
- (ii) Ten years' experience in the field of operation or repair and maintenance or design development or testing of agricultural equipments and machines, including tractors from any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

**Note 1:** The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	If a Departmental Promotion Committee exists what is it	mposition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
	(12)			(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consider consisting of:-		ering promotion)		Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation
1	Chairman or Member, Union Public Service Commission	:	Chairman;	(including short-term contract).
2	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	:	Member;	
3	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation.	:	Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior	12* (2015).	General	Pay band	Selection.	Not exceeding 40 years.
Agricultural		Central	3, Rs.		(Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance
Engineer *	* Subject to	Service,	15600-		with the instructions or orders issued by the Central Government).
	variation	Group 'A'	39100		
*On posting at	dependent	Gazetted,	Plus grade		<b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the
DAC (Hq), the	on	Non-	pay of		closing date for receipt of applications from candidates in India
incumbent will	workload.	ministerial.	Rs. 6600.		(and not the closing date prescribed for those in Assam,
be designated as					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,
Assistant					Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State,
Commissioner					Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district
(M&T).					of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or
					Lakshadweep).

	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No	One year for direct	(i) 40% by promotion;
(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a	Educational	recruits and	(ii) 60% by deputation
recognised University or Institute;	qualification:	promotees.	(including short
and	Yes.		term contract)
(ii) Five years' experience in operation and maintenance of tractors,			failing which by
agricultural machinery and allied equipments including teaching experience in any Government or private listed organisation;			direct recruitment.
or			
Five years' experience in handling independently testing and evaluation of farm machinery and agricultural implements in any Government or private listed organisation.			
Desirable:			
Post Graduate Degree in Agricultural Engineering from a recognised			
University or Institute.			
<b>Note1</b> : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public			
Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
<b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the			
discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be			
recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes			
and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service			
Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from			
these communities possessing the requisite experience are not likely to be			
available to fill up the vacancies reserved for them.			

#### Promotion:

Test Engineers in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 with five years' regular service in the grade, and Agricultural Engineer in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with seven years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks of training in operation, maintenance, repair, training and testing of tractors, agricultural machinery and allied equipments from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

**Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

#### Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutes or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3 Rs.15600-39100 and grade pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 of Rs. 9300-34800, and grade pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)			(13)
Depa	artmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:			Consultation
				with the
1	Chairman or Member, Union Public Service Commission	:	Chairman;	Union Public
2	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and	:	Member;	Service
	Cooperation			Commission
3	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and	:	Member;	necessary on
	Cooperation			each
4	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of	:	Member;	occasion.
	Agriculture and Cooperation.			
Depa	artmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:			
1	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and	:	Chairman;	
	Cooperation			
2	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of Agriculture and	:	Member;	
	Cooperation			
3	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of	:	Member.	
	Agriculture and Cooperation.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Instrumentation	01* (2015).	General Central	Pay band -3,	Selection	Not applicable
Engineer		Service, Group 'A'	Rs. 15600-		
	* Subject to variation	Gazetted, Non-	39100 plus		
	dependent on workload	Ministerial	grade pay of		
			Rs. 6600.		

(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation		
			including short-term contract.		

## Promotion:-

Instrumentation Engineer in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 with five years' regular service in the grade.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

#### Deputation (Including short-term contract):-

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:

#### **Essential:**

- (i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised University or institution.
- (ii) Five years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls.

Desirable: Two years' experience in handling strain gauges, sound and vibration equipment.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)	(13)		
Gro	up 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consis	ting	of :-	Consultation with Union Public Service Commission necessary
1	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	:	Chairman;	while appointing an officer on deputation (including short- term
2	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	:	Member;	contract).
3	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	:	Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Instrumentation	2* (2015).	General Central	Pay Band- 3, Rs.	Selection.	Not exceeding 35 years.
Engineer.		Service, Group 'A'	15600-39100 plus		(Relaxable for Government servants
	* Subject to	Gazetted, Non-	grade pay of Rs.		upto five years in accordance with
	variation dependent	ministerial.	5400.		the instructions or orders issued by
	on workload.				the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti

		districts a	and Pangi	Sub-I	Division of
		Chamba	district	of	Himachal
		Pradesh,	Andaman	and	Nicobar
		Islands or	Lakshadw	eep).	

	(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (A)	(i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institution.  (ii) Three years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations.	Age:- No.  Educational Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.
(B)	Or  (i) Masters' degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institute; year experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment, etc., from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.			
	: experience in instrumentation for testing of IC Engines and mission measurement system.			
Service C	Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public commission, for reasons to be recorded in writing, in case of a otherwise well qualified.			
discretion recorded i or Schedu Commissi these com	The qualifications regarding experience are relaxable at the of the Union Public Service Commission, for reasons to be n writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes led Tribes if at any stage of selection the Union Public Service on, is of the opinion that sufficient number of candidates from munities possessing the requisite experience are not likely to be of fill up the vacancies reserved for them.			

## Promotion:

Agricultural Engineer (Instrumentation) in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

## Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
- Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 3: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date

from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)	(13)		
Grou	p 'B' Departmental Promotion Committee (for considering pr	romo	tion) consisting of:	Consultation with Union Public
				Service Commission is necessary
1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	:	Chairman;	on each occasi.
2.	Additional Secretary (Mechanisation and Technology	:	Member;	
	Division), Department of Agriculture and Cooperation			
3.	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division),	:	Member;	
	Department of Agriculture and Cooperation			
4.	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology	:	Member.	
	Division), Department of Agriculture and Cooperation			
Grou	p 'B' Departmental Confirmation Committee (for considerin	g con	firmation) consisting of:	
1.	Additional Secretary (Mechanisation and Technology		Chairman:	
1.	Division), Department of Agriculture and Cooperation	•	Chairman,	
	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division),		Member:	
	Department of Agriculture and Cooperation	•	wichioci,	
3.	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology		Member.	
٥.	Division), Department of Agriculture and Cooperation	•	Wichioci.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Test Engineer.	1* (2015)  * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.5400.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not	One year.	By direct recruitment.
(1) Degree in Agricultural Engineering of a recognised	applicable.		
university.			Note:- Vacancies caused by the incumbent
(2) Three years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from any Government			being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other
organisation or university or private listed organisation.			circumstances for a duration of one year or
organisation of university of private instead organisation.			more may be filled on deputation basis from
Desirable:			officers under the Central Government or State
Two years' practical experience of mechanised farming			governments or union territory administrations
practices.			or public sector undertakings or agricultural
Note 1. Qualifications are relevable for the reasons to be			universities or recognised research institutions
<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public			or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations:-
Service Commission in case of candidates otherwise well			(a) (i) Holding analogous post on a regular
qualified.			basis; or
•			(ii) with two years' regular service in
<b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable			posts in the pay band-2 of Rs.9300-
at the discretion of Union Public Service Commission, for			34800 with grade pay of Rs. 4800 or
reasons to be recorded in writing, in the case of candidates			equivalent; or
belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of			(iii) with three years' regular service in posts in the pay band-2 of Rs. 9300-
the opinion that sufficient number of candidates from these			34800 with grade pay of Rs. 4600
communities possessing the requisite experience are not likely			or equivalent; and
to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(b) possessing the qualification and experience
			prescribed for direct recruits under
			column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public
	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of : Chairman;     Agriculture and Cooperation	Service Commission
	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division) Department of : Member;     Agriculture and Cooperation	necessary on each occasion.
	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division) : Member.     Department of Agriculture and Cooperation	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Agricultural	2* (2015).	General Central	Pay band -2,	Selection.	Not exceeding 30 years.
Engineer		Service, Group	Rs. 9300-		(Relaxable for Government Servants upto 5
(Instrumentation)	* Subject to	'B' Gazetted,	34800 plus		years in accordance with the instructions or
	variation	Non-	grade pay of		orders issued by the Central Government.)
	dependent on	ministerial.	Rs. 4600.		
	workload.				Note: The crucial date for determining the age
					limit shall be the closing date for receipt of
					application from candidates in India (and not
					the closing date prescribed for those in
					Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh division of Jammu and
					Kashmir State, Lahaul and Spiti district and
					Pangi sub-division of Chamba district of
					Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar
					Islands or Lakshadweep.)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Age: No.	Two years for	(i)50% by promotion
1. Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Technology	Educational	direct recruits.	failing which by
from a recognised university or institute.	qualifications: No.		deputation
2. Two years' experience in the installation, calibration and			(including short
maintenance of electronics and electrical instruments for automatic			term contract);
measurement and controls, experience in handling strain gauge,			(ii)50% by direct
sound and vibration equipment etc. from any government or			recruitment.
private (listed) organisations.			
<b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union			
Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in			
case of candidates otherwise well qualified.			
<b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the			
discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be			
recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled			
Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union			
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of			
candidates from these communities possessing the requisite experience			
are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them			

## **Promotion:**

Senior Technical Assistant (Instrumentation) in pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200 with five years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks' training in installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, handling strain guage, sound and vibration equipment from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

# **Deputation (including short term contract):**

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or department; and
  - (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment

on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)			(13)
Depar	tmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of:	:-		Consultation with Union Public
				Service Commission is necessary
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	- (	Chairman;	while making direct recruitment and appointing an officer on
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	- ]	Member;	deputation (including short term contract).
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	- ]	Member;	
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	- ]	Member.	
Depar	tmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisti	ng of:	-	
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Chairman;	
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	-	Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<ol><li>Agricultural</li></ol>	15* (2015)	General Central	Pay Band -2, Rs.	Selection.	Not exceeding 30 years.
Engineer *		Service, Group	9300-34800 plus		(Relaxable upto 5 years for
	* Subject to	'B', Gazetted,	grade pay		Government Servants in accordance
*On posting at	variation dependent	Non-ministerial.	Rs.4600.		with the instructions or orders issued by
DAC (Hq), the	on workload.				the Central Government.)
incumbent will					
be designated					<b>Note:</b> The crucial date for determining
as Assistant					the age limit shall be the closing date for
Engineer					receipt of application from candidates in
(M&T).					India (other than those from Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh division of Jammu and
					Kashmir State, Lahaul and Spiti district
					and Pangi sub-division of Chamba
					district of Himachal Pradesh, Andaman
					and Nicobar Islands or Lakshadweep).

	(7)	(8)	(9)	(10)
Essei	ntial:	Age: No	Two years for	(i) 60% by promotion
(i)	Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering	Educational	direct recruits.	failing which by
	of a recognised University.	qualifications: No.		deputation including
(ii)	Two years' experience in testing and evaluation of agricultural			short term contract;
	machinery from Central Government or state governments or			(ii) 40% by deputation
	union territory administrations or public sector undertakings or			(including short term
	agricultural universities or recognised research institutions or			contract) failing which
	councils or semi-Government or autonomous or statutory			by direct recruitment.
	organisations.			
	OR			
(iii)	Two years' experience of teaching or as a trainer, including			
	experience in operation or maintenance of tractors and			
	agricultural implements or machinery, the experience sought is			
	to be from Central Government or state governments or union			
	territory administrations or public sector undertakings or			
	agricultural universities or recognised research institutions or			
	councils or semi-Government or autonomous or statutory			
	organisations.			
	rable:			
One y	year practical experience of mechanised farming practices.			

Ī	<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable, for reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission, in		l
	case of candidates otherwise well qualified.		ı
	case of candidates offici wise wen qualified.		l
	<b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable, for the		ı
	reasons to be recorded in writing, at the discretion of Union Public		ı
	Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled		ı
	Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union		ı
	Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of		ı
	candidates from these communities possessing the required experience		ı
	are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for		ı
	them		

#### **Promotion:**

Senior Technical Assistant with five years' regular service in the pay band-2, Rs 9300-34800 with grade pay of Rs.4200 and have successfully completed four weeks' training in testing or development of agricultural machinery, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery.

Note 1: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

## **Deputation (including short term contact):**

Officers under the Central Government or state government or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band -2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) should not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

*Note 3*: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)			(13)
Group	'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) cons	Consultation with the Union		
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Chairman;	Public Service Commission necessary while making direct
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	recruitment and appointing an officer on deputation
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	(including short term contract).
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	-	Member.	
Group	'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation	) cons	isting of:-	
(1)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Chairman;	
(2)	Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	
(3)	Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture and Cooperation	-	Member;	
(4)	Director, Farm Machinery Training and Testing Institute	-	Member.	

[F. No. 13-3/2012-M&T (Admn.)]

B.B. BHAGAT, Under Secy.